

घोडियाराम




बनाम

सोत्ताराम वगैरा

2020

9/20

1/2

क्र. नं.	दुकन या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुकन की तारीख में जारी हुए
	<p>वकील- प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान कानून अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तारीख में वकील सायल ने शपथ पत्र निकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 2335/1, 2336, 2248, 2343, 2344, 2345, 2348, 2349, वाके ग्राम भैरुवास तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 29.09.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.09.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अनन्तपुर) </p> <p> मुद्रांक करीबन 19.09.2020 वास्ते Covid-19 स्वास्थ्य दिनांक 19.09.2020 को पेश हो। </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p> वकील सायल व्याख्या 1 आदेश दिनांक 29-9-20 की पालना में पत्रावली वास्ते 2020 दिनांक 9/11/20 को पेश हो </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अनन्तपुर) </p>

दुग्ध का कारखाना का नाम प्रमाणित करने के लिए

पत्रिका नं. जारी कर
कारखाना जो इस दुग्ध
को तारीख में जारी करे

पत्रिका नं. 2613/2014
कारखाना का नाम: ...
को तारीख में जारी करे ...
कारखाना का नाम: ...

अधिकारी

उक्त दुग्ध कारखाना का नाम प्रमाणित करने के लिए - 2 अथवा विलंबी तारीख में जारी करे ...
कारखाना का नाम: ...
कारखाना का नाम: ...
कारखाना का नाम: ...
कारखाना का नाम: ...

SDOK 2613/14

अधिकारी
कारखाना (अलग)